

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह आर0ए0एस0

संख्या : 322/2022 प्रा0प्र

श्रीमती चण्डी लाल आंगू तेली सि0 चित्तौड़गढ़-करेडा

प्रार्थी.....

बनाम

1. लाल पि0 बहा मंगल सि0 चित्तौड़गढ़-करेडा-का0 विपक्षीगण.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0मू0राज0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक 9/11/22

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0मू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि (पटवार हल्का चित्तौड़गढ़ तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त खातों की खाता संख्या..... आराजी नम्बर.....

3597/1019, 3708/1019  
0.5059, 0.44267

कुलकिता 2 रकबा 0.9485 हेक्टेयर भूमि स्थित है। अस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह मही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 9/11/22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी करने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित ये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश:

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम चित्तौड़गढ़ पटवार हल्का चित्तौड़गढ़ तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या..... आराजी नम्बर.....

कुलकिता 2 रकबा 0.9485 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु मू- अभिलेख निरीक्षक चित्तौड़गढ़ को 5507 रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

संलग्न- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

पत्थरगढी की

उपखण्ड अधिकारी पदेन महीपाल सिंह करेडा